

Supdt. Govt-I

DH 15/3



This is a digitally signed Gazette, to verify click here.

<http://rajpatrahimachal.nic.in>

# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार 08 नवम्बर, 2016/17 कार्तिक, 1938

हिमाचल प्रदेश सरकार

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 5 नवम्बर, 2016

संख्या:आई0पी0एच0-बी(एच)1-3/2015-सोलन.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव तिरमली, ब्राये तामिर कोटला तिरमली मार्ग मौजा तिरमली, तहसील व सोलन, हिमाचल प्रदेश में कोटला तिरमली सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवं एतद द्वारा यह अधिरूयित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

## उद्यान विभाग

## अधिसूचना

शिमला-2, 22 अक्तूबर, 2016

संख्या: एच0टी0सी0-ए0(3)-2/2003-(सुपरिटे०).—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग में अधीक्षक, ग्रेड-I, वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-“क” के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग, अधीक्षक, ग्रेड-I, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. निरसन और व्यावृत्तियां.—(1) अधिसूचना संख्या: एच0टी0सी0-ए0(3)-3/77 तारीख 30-5-1978 द्वारा अधिसूचित और समय-समय पर यथा संशोधित दी हिमाचल प्रदेश होर्टिकल्चरल सर्विसेज सुपरिन्टेण्डेंट, (क्लास-II, मिनीस्ट्रीयल) रेकूटमेन्ट एण्ड प्रमोशन रूलज, 1978 का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,  
जगदीश चन्द्र शर्मा,  
प्रधान सचिव (उद्यान)।

उपाबन्ध-“क”

हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग में अधीक्षक, ग्रेड-I, वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए  
भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम:—अधीक्षक, ग्रेड-I
2. पद (पदों) की संख्या:—03 (तीन)
3. वर्गीकरण:—वर्ग-I, (राजपत्रित)
4. वेतनमान:—पे बैंड रूपए 15600-39100 जमा 5400/- ग्रेड पे ।
5. “चयन” पद अथवा “अचयन” पद:—अचयन।
6. सीधी भर्ती के लिए आयु:—लागू नहीं ।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं:—(क) अनिवार्य अर्हता(ए):— लागू नहीं ।

(ख) वॉछनीय अर्हता (ए):— लागू नहीं ।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता (अर्हताएं) प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं:—आयु:—लागू नहीं ।

शैक्षिक अर्हता:—लागू नहीं ।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो:—दो वर्ष, जिसका एक वर्ष, से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें ।

10. भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैकेण्डमैट, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता:—शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ।

11. प्रोन्नति, सैकेण्डमैट, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैकेण्डमैट/स्थानान्तरण किया जाएगा:—अधीक्षक, ग्रेड-II में से प्रोन्नति द्वारा जिनका 03 (तीन) वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके 03 (तीन) वर्ष का नियमित सेवाकाल हो ऐसा न होने पर अधीक्षक, ग्रेड-II में से प्रोन्नति द्वारा जिनका अधीक्षक, ग्रेड-II और वरिष्ठ सहायक के रूप में संयुक्त 09 (नौ) वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके 09 (नौ) वर्ष का नियमित सेवाकाल हो जिसमें अधीक्षक, ग्रेड-II के रूप में दो वर्ष की अनिवार्य सेवा भी सम्मिलित होगी ।

प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी:

परन्तु उपरोक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो:

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (कांडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरित किया जाएगा ।

**स्पष्टीकरण ।** :—उपरोक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में “कार्यकाल” से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की, इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी ।

**स्पष्टीकरण II:**—उपरोक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे:—

1. जिला लाहौल एवं स्पिति ।
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल ।
3. रोहडू उप मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र ।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट ।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना ।

6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।
7. जिला किन्नौर।
8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरु के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त।
9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्गोल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाड़ा गोसाई, मठयानी, धनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल, पटवार वृत्त पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चिथूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुस्रण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/कांडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे:

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी:

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/ समझे जाएंगे।

**स्पष्टीकरण:**—अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबीलाइज्ड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व की सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना:—जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों किया जाएगा:—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाएं:—किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन:—लागू नहीं।
16. आरक्षण:—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17. विभागीय परीक्षा:—सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
18. शिथिल करने की शक्ति:—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

[Authoritative English Text of H.P. Government Notification No. HTC-A(3)-2/2003-(Supdt.), dated..... as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution.]

## HORTICULTURE DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Shimla-2, the 22th October, 2016

**No. HTC-A(3)-2/2003(Supdt.).**—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of **Superintendent Grade-I, Class-I (Gazetted)**, in the Department of Horticulture, Himachal Pradesh, as per Annexure-"A" attached to this notification, namely :—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Horticulture Department, Superintendent Grade-I, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2016.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra Himachal Pradesh.

**2. Repeal and savings.**—(1) The Himachal Pradesh Horticulture Services Superintendent (Class-II, Ministerial) Recruitment and Promotion Rules, 1978, notified vide Notification No. HTC-A(3)-3/77, dated 30-5-1978, as amended from time to time, are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made, or anything done or any action taken under the rules so repealed under rule 2(1) supra shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By order,  
JAGDISH CHANDER SHARMA,  
Principal Secretary(Hort.).

ANNEXURE-'A'

**Recruitment and Promotion Rules for the post of Superintendent Grade-I, Class-I (Gazetted), Department of Horticulture, Himachal Pradesh**

1. Name of the Post.—Superintendent Grade-I
2. Number of Post.—03 (Three)
3. Classification.—Class-I (Gazetted)
4. Scale of Pay.—Pay Band ₹ 15600-39100 + ₹5400/- (Grade Pay)
5. Whether "Selection Post" or "Non Selection" Post.—Non-Selection
6. Age for direct recruitment.—Not Applicable
7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).—(a) Essential Qualification(s):—Not applicable.  
(b) Desirable Qualification(s): Not applicable
8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct Recruit(s) will apply in the case of the promotee(s).—Age:— Not applicable.  
Educational Qualification:— Not applicable.
9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. Method(s) of recruitment whether by direct recruitment, or by promotion, secondment, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.—100% by promotion.
11. In case of recruitment by promotion, secondment, transfer, grade from which promotion/ secondment/transfer is to be made.—By promotion from amongst the Superintendent Grade-II with three years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade, failing which by promotion from amongst the Superintendent Grade-II who possess 09 (nine) years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, as Superintendent Grade-II & Senior Assistant combined which shall also include two years essential service as Superintendent Grade-II.



Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation:

Provided further that officers/officials, who have not served at least one tenure in Tribal/difficult areas, shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

**EXPLANATION-I:—**For the purpose of proviso (I) supra the term in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

**EXPLANATION-II:—**For the purpose of proviso (I) supra the Tribal/difficult areas shall be as Under :—

1. District Lahaul & Spiti.
2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.
3. Dodra Kwar area of Rohru Sub Division.
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat. Gram Panchayat of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.
7. District Kinnaur.
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil. Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

(I) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment /promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all

persons senior to him/her in the respective category/ post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion:

**EXPLANATION:**—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservations of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provision of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservations of Vacancies in Himachal Pradesh Technical Services) Rules 1985 and having been given the benefit of seniority there-under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of R&P Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

**12. If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition?—**As may be constituted by the Government from time to time.

**13. Circumstance under which the HPPSC is to be consulted in making recruitment.—**As required under the law.

**14. Essential requirement for a direct recruitment.—**Not applicable.

**15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—**Not applicable.

**16. Reservation.—**The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other categories of persons issued by the H.P. Govt. from time to time.

**17. Departmental Examination.—**Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the H.P. Departmental Examination Rules, 1997 as amended from time to time.

**18. Power to relax.—**Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).